उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

Website: www.ukpsc.gov.in

विज्ञापन संख्या :–A-2/DR(SF)/S-2//2021

महिला कल्याण विभाग में अधीक्षिका चयन–2021

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	28 दिसम्बर, 2021
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	17 जनवरी, 2022 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति, समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के साथ जमा करने की अंतिम तिथि	–	25 जनवरी, 2022 (सांय 6:00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1.	अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 17 जनवरी, 2022** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन करें। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की इस परीक्षा से व समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
5.	ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथाः–पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, विषय, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि से सम्बन्धित विवरण में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6.	प्रश्नगत् परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन–पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

7.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए **परिशिष्ट–0**1, स्क्रीनिंग परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट–02,** आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–0**3 तथा अनुभव प्रमाण–पत्र के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–04** का अवलोकन करें।
8.	ऑनलाईन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति के साथ शैक्षणिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण इत्यादि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम **तिथि 25 जनवरी, 2022** तक जमा कराया जाना अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा, तथा इस दशा में ऐसे अभ्यर्थियों का ऑनलाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
9.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
10.	प्रश्नगत चयन के अंतर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के अनुसार अभ्यर्थियों को उनकी आरक्षण श्रेणी/उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम् अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
11.	प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा होने की दशा में अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना तथा साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग में अधीक्षिका के रिक्त पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमन्त्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के प्राप्तांक से निर्मित मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

2. रिक्तियों का विवरण :–

महिला कल्याण विभाग में अधीक्षिका पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या :–

रिक्तिया :– 01 (उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु आरक्षित)

रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

नोट :– उपरोक्त रिक्ति के सापेक्ष उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु चिन्हित श्रेणी OA, OL, PB व PD निर्धारित है। उक्त के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3. पद का स्वरूप :–

राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह–'ख')।

4. वेतनमान् :–

रु0 35,400–1,12,400 (लेवल–06)।

5. (1) शैक्षिक अर्हता :–

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या (दो) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो या (तीन) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र (Sociology) या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र (Applied Sociology) या सामाजिक कार्य (Social Work) में स्नातकोत्तर उपाधि।

(2) अधिमानी अर्हता :–

(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि,

(दो) सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव।

नोटः–अनुभव प्रमाण–पत्र परिषिष्ट–4 के प्रारूप में प्रस्तुत करने पर ही मान्य है।

6. आयु :–

आयु सीमा 21 से 43 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 43 वर्ष नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2000 के बाद तथा 02 जुलाई, 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

7. अधिकतम् आयु सीमा में छूट :–

उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in देखें।

8. आरक्षण :–

उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(1) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रारूप पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(2) शासनादेश संख्याः– 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत **परिशिष्ट–3** के साथ संलग्न है।

9. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

10. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के परिशिष्ट–03 में उल्लिखित हैं।

11. राष्ट्रीयता :–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, **या**

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

12. चरित्र :–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :–

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

13. वैवाहिक प्रास्थिति :–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

14. शारीरिक स्वस्थता :–

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाए।

15. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में Apply Now लिंक पर क्लिक करें। Apply Now page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now बटन पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् खुले Registration फॉर्म पर अपनी सही जानकरी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details पर क्लिक कर फॉर्म पर Post Information के अन्तर्गत Post Information में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते है, पर Tick करें। फॉर्म पर Educational Qualifications के अन्तर्गत सर्वप्रथम High School का विवरण भरें एवं Add Education Details पर क्लिक करें, भरा गया विवरण Add Education Details के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। इसी तरह Intermediate, Graduate/Post Graduate इत्यादि शैक्षिक अर्हताएं एवं धारित अनुभव भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर Submit पर क्लिक करें। उसके पश्चात Upload Images पर क्लिक कर Photo, Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo, Signature अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। घोषणा को Tick करने के पश्चात् Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें। Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसको कि Enter OTP वाली फील्ड्स पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (Cancel) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के संबंध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनका आवेदन निरस्त करते हुए आयोग द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है

नोटः–

1) आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Passward के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information, Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर Photo, Signature एवं Documents को पुनः अपलोड कर सकते है। **ध्यान रहे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल नंबर को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाईन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई–मेल कर सकते हैं।**

2) Final Submission के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

16. आवेदन शुल्क :–

शासनादेश संख्या–332(1)/xxx(2)/2021/55(35)2003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 के क्रम में आवेदन शुल्क देय नहीं है।

17. अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/स्क्रीनिंग (प्रारम्भिक)/साक्षात्कार से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देशः–

(I) <u>आवेदनपत्रों की सन्निरीक्षा/चयन प्रक्रिया,</u>

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 यथा संशोधन 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट **<u>www.ukpsc.gov.in</u>** पर उपलब्ध है।

(3) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम **तिथि 25 जनवरी, 2022** तक प्राप्त किए जायेंगे। **आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी,** जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:–

(i) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन में अधिमानी अर्हता का दावा करने पर परन्तु अधिमानी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अधिमानी अर्हता का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(iii) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने परंतु उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(v) अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

<u>अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।</u> अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित

की जायेगी।

(II) प्रारम्भिक/स्कीनिंग परीक्षा हेतु निर्देशः–

ऑनलाईन आवेदन पत्र अधिक संख्या में प्राप्त होने पर साक्षात्कार परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी के दृष्टिकोण से आयोग द्वारा प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् है–

(1) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(2) प्रारम्भिक परीक्षा में (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(3) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड**–वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेगें। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(4) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्नपत्रों से सम्बन्धित उत्तरकुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तरकुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसे अभ्यर्थियों की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुति के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

(5) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(6) **अँगूठे का निशान** (Thumb Impression):–

सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(7) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाईन प्रवेश–पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई

भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा एक क्वालीफाईंग परीक्षा है, जिसके अंक साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जायेगें।

(III) साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देशः–

(1) स्कीनिंग परीक्षा में सफल/सन्निरीक्षा के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार परीक्षा हेतु आहूत किया जायेगा।

(2) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भर कर ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाणपत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेगें। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों/अभिलेखों से साक्षात्कार दिवस में साक्षात्कार से पूर्व किया जायेगा तत्समय अभ्यर्थी को स्व–प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटो ग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की मूल प्रति अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(5) साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक धारित अभ्यर्थियों की के क्रम में अभ्यर्थियों को चयनित किया जायेगा। चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

19. सामान्य निर्देष :–

(1) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की शर्तों से संतुष्ट हो जाने के पश्चात् ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(2) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(3) प्रश्नगत पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उन का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है, तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(4) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नही होगा।

(5) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों

पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(6) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथा समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत **"अनापत्ति प्रमाण–पत्र"** प्रस्तुत करना होगा।

(8) परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः–374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित "दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश" (परिशिष्ट–4) के अनुसार श्रुतलेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी।

(9) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(10) अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर भी सूचना प्रसारित की जायेगी।

(11) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(12) परीक्षा केन्द्र/आयोग परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं।

(13) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(14) **कदाचार के दोषी** पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 **(प्रथम संशोधन 2016)** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(15) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः** अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना

को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(16) **परीक्षा भवन/आयोग भवन में आचरणः** परीक्षा केन्द्र/कक्ष/आयोग भवन में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(17) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :**1.** अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात **(क)** गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, **(ख)** अनुचित दबाव डालना, ,या **(ग)** परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैक मेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा **2.** नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा **3.** प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट–रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा **4.** जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा **5.** गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा **6.** परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, **(क)** गलत तरीके से प्रश्नपत्र की प्रति प्राप्त करना **(ख)** परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, **(ग)** परीक्षकों को प्रभावित करना, या **7.** परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या **8.** उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा **9.** परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा **10.** परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या **11.** परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या **12.** परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा **13.** उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे **(क)** आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा **(ख)** उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए **(i)** आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है **(ii)** राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। **(ग)** यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक **(i)** अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और **(ii)** अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(18) **न्यूनतम अर्हक अंक :उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2012 (प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014, तृतीय संशोधन–2015 व चतुर्थ संशोधन–2016)** के प्रावधानों एवं मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 14 मई, 2019 एवं 26 जून, 2019अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा।

(19) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(20) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(21) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचना वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(22) विज्ञापित पद हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2012 यथा संशोधित में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पृष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।

परिशिष्ट–1

महिला कल्याण विभाग में अधीक्षिका चयन परीक्षा–2021
परीक्षा योजना

(1.) स्क्रीनिंग परीक्षा :– आवेदन पत्रों की अधिक संख्या होने पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। स्कीनिंगत परीक्षा मं 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 02 अंक होंगे। अधिकतम अंक 200 है। समय अवधि 02 घण्टा है।

प्रष्नों की संख्या–100
समय– 2 घण्टे

(2.) साक्षात्कार परीक्षाः– 100 अंक

नोटः– (1) स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक साक्षात्कार परीक्षा के अंकों में जोड़े नहीं जायेगें।

(2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु साक्षात्कार के कुल अंकों के 40 प्रतिशत अंक प्रवीणता सूची के लिए आवश्यक है। तद्क्रम में प्रवीणता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

परिशिष्ट–2

महिला कल्याण विभाग में अधीक्षिका चयन परीक्षा–2021
स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम

निर्देशः–स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम 20 यूनिट में विभाजित है। प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न तथा कुल 100 प्रश्नों के 200 अंक का एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न के 02 अंक निर्धारित है। निर्धारित समय 02 घण्टा।

इकाई–01

(अ) समाजशास्त्र तथा समाज कार्यः–अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय–क्षेत्र एवं इसका महत्व, ऐतिहासिक विकास

(ब) मौलिक अवधारणायें– समाज, समुदाय, सामाजिक समूह एवं समूह निर्माण, समिति, सामाजिक संरचना, संस्कृति, सामाजीकरण, प्रस्थिति तथा भूमिका, सामाजिक नियंत्रण

इकाई–02

(अ) सामाजिक प्रक्रियायें–
सहयोगात्मक प्रक्रियायें–सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण
असहयोगात्मक प्रक्रियायें– प्रतियोगिता, संघर्ष,
सामाजिक गतिशीलता
सामाजिक स्तरीकरण

(ब) सामाजिक संस्थायें– विवाह, परिवार, नातेदारी, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तथा धार्मिक

इकाई–03

(अ) सामाजिक अनुसंधानः अर्थ, प्रकार तथा महत्व; वैज्ञानिक पद्धति, चर/परिवर्त्य, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्या

(ब) शोध प्रारूप : अर्थ एवं प्रकार; उपकल्पना तथा निदर्शन प्रक्रिया; तथ्य संकलन की प्रविधियाँ; अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार

इकाई–04

(अ) गुणात्मक पद्धतियाँः सहगामी अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन विधि, सर्वेक्षण विधि, क्षेत्र अध्ययन, पैनल स्टडी, अंतर्वैषयिक अनुसंधान

(ब) सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकीः अर्थ तथा प्रकृति, उपयोगिता; केन्द्रीय प्रवृतियों की मापः माध्य, माध्यिका तथा बहुलक अपकिरण के माप (परास/विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन) सामाजिक अनुसंधान में संगणक की उपयोगिता

इकाई–05

(अ) भारत में सामाजिक वर्गः कृषक वर्ग संरचना, औद्यौगिक वर्ग संरचना, भारत में मध्यम वर्ग

(ब) भारत में जनजातीय जनसंख्याः जनजातियों का भौगोलिक वितरण, जनजाति सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी नीतियां

इकाई–06

(अ) भारत में नातेदारी व्यवस्थाः– नातेदारों के प्रकार एवं वर्गीकरण, नातेदारी–रीतियां, परिवार एवं विवाह

(ब) भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं चुनौतियाँः विकास के नियोजन का विचार तथा आर्थिक व्यवस्था के प्रकार

इकाई–07

(अ) परिवर्तन की प्रक्रियायेंः संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकीकरण

(ब) सामाजिक आन्दोलनः सुधार आन्दोलन, कृषक आन्दोलन, पिछड़ा वर्ग तथा दलित आन्दोलन, पर्यावरण संरक्षण आन्दोलन

इकाई–08

(अ) भारत में नगरीकरणः आधुनिक नगरों का उद्विकास, भारत में नगरीय बसाहट में वृद्धि एवं मलिन बस्तियाँ। बाल उत्पीड़न, तस्करी तथा देह व्यापारः प्रकृति, उन्मूलन (शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के प्रयास)

(ब) भारत में समकालिक मुद्देः महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, जातीय संघर्ष, संजातीय संघर्ष, सांप्रदायिकता, आतंकवाद।

इकाई–09

(अ) दरिद्रता एवं बेरोजगारी, वृद्धावस्था की समस्यायें तथा अर्न्तपीढ़ी–संघर्ष, दिव्यांगों की समस्यायें, दहेज, तलाक

(ब) अतिजनसंख्या की समस्या, विस्थापन, पारिस्थितिकीय क्षरण तथा पर्यावरणीय प्रदूषण, आपदा–प्रबंधन, स्वास्थ्य समस्यायें

इकाई–10

(अ) सामाजिक विचलन एवं इसके कारक, अपराध एवं भ्रष्टाचार, अपराध एवं अपराधियों की परिवर्तनशील पृष्ठभूमि, बाल अपराध

(ब) मादक द्रव व्यसन, आत्महत्या, बाल–श्रम, एड्स तथा एच आई वी

इकाई–11

(अ) कृषिक संस्थायें, भूमि स्वामित्व एवं इसके प्रकार, कृषक सम्बन्ध एवं उत्पादन के तरीके, जजमानी व्यवस्था तथा जजमानी सम्बन्ध

(ब) पंचायती राज संस्थाः पंचायत 73वें संशोधन से पूर्व एवं पश्चात् ग्रामीण नेतृत्व एवं गुटबन्दी

इकाई–12

(अ) बँधुआ मजदूरः– प्रवासी श्रमिकों की समस्यायें, दरीद्रीकरण एवं गैर–किसानीकरण, कृषक असन्तोष।

(ब) ग्रामीण समाज में परिवर्तन के रूझान, ग्रामीण समाज में अंतः एवं बाह्य प्रव्रजन, परिवर्तन के कारक तथा ग्रामीण संस्थाओं पर प्रभाव

इकाई–13

(अ) औद्योगिक समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र; भारत में औद्योगिकरण का इतिहास, श्रम विभाजन, नौकरशाही, उत्पादन सम्बन्ध, अतिरिक्त मूल्य एवं अलगाव

(ब) समाज व्यवस्था के रूप में कारखाना, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन, परिवार, विवाह एवं जाति व्यवस्था पर औद्योगिकरण का प्रभाव

इकाई–14

(अ) श्रम के बदलते परिदृश्य, औद्योगिक विवाद एवं समाधानः समझौता, न्यायिक निर्णय, मध्यस्थता; सामूहिक सौदेबाजी, समकालीन भारत में श्रम संगठन

(ब) औद्योगिक नीति, श्रम कल्याण अधिनियम, उद्योग में मानवीय सम्बन्ध

इकाई–15

(अ) सामाजिक निर्मिति के रूप में लिंग, लिंग आधारित सामाजीकरण के प्रारूप, सांस्कृतिक प्रतीकवाद एवं लैंगिक भूमिका

(ब) पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक व्यवस्थाः श्रम विभाजन–उत्पादन एवं पुनरोत्पादन, लिंग सम्बन्ध के विभिन्न सिद्धान्त

इकाई–16

(अ) भारत में नारी प्रस्थिति के सूचकांक: जनांकिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक; भारत में नारी–विकास, की विशिष्ट योजनायें एवं रणनीतियाँ, भारत में नारी सशक्तीकरण

(ब) भारत में स्वैच्छिक संगठन एवं नारी विकास: वैश्वीकरण एवं नारी विकास लिंग सम्बन्धों पर लिंग आधारित योजनाओं का प्रभाव

इकाई–17

(अ) सामाजिक विकास, आर्थिक वृद्धि, मानवीय विकास, सम्पोषक विकासः अर्थ एवं सूचक

(ब) सामाजिक संरचना एवं विकास: एक सहायक/अवरोधक, विकास एवं सामाजिक–आर्थिक विषमताएँ, लिंग एवं विकास

इकाई–18

(अ) संस्कृति तथा विकास: एक उत्पादन/अवरोध के रूप में, विकास एवं परम्परा उच्छेदन, विकास एवं संजातीय आन्दोलनों का उद्‌भव

(ब) भारत में ग्रामीण एवं नगरीय रूपान्तरण: ग्रामीण एवं नगरीय विकास के कार्यक्रम, दरिद्रता उन्मूलन योजनाएँ, श्रमिकों की समस्यायें

इकाई–19

(अ) जनसंख्या अध्ययन: अर्थ एवं क्षेत्र; जनसंख्या का आकार, रचना तथा वितरण

(ब) प्रजननता, मृत्युक्रम एवं प्रवास: कारक, मापन तथा अधुनातन रूझान

इकाई–20

(अ) जनसंख्या शिक्षा, नियोजित पितृत्व, भारत में जनसंख्या नीति एवं जनसंख्या नियंत्रण हेतु किये गये उपाय

(ब) भारतीय समाज में समकालिक जनांकिकीय मुद्दे–गिरता हुआ लिंग अनुपात, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन स्वास्थ्य, वृद्धजनों की समस्यायें

SYLLABUS OF SCREENING EXAMINATION

Directions:- The syllabus is divided into 20 units. There will be 100 objective type questions containing 5 questions from each unit. Each question carry 2 marks.
Total marks - 200. Time Allotted - 02 hours.

UNIT-I

A. Sociology And Social Work**:-**Meaning, Definition, Nature, Scope and its Significance; Historical Development.

B. Basic Concepts**:-** Society, Community, Social Group and Group Formation, Association, Social Structure, Culture, Socialization, Status and Role, Social Control.

UNIT-II

A. Social Processes:-
Associative Process**:** Cooperation, Accommodation, Assimilation,
Dissociative Process: Competition, Conflict.
Social Mobility
Social Stratification

B. Social Institutions:-
Marriage, Family, Kinship, Economy, Polity, Education and Religion,

UNIT-III

A. Social Research :- Meaning , Types and Significance;
Scientific Method, Variables, Problems of Objectivity in Social Research.

B. Research Design:-Meaning and Types; Hypothesis and Sampling Procedure; Techniques of Data Collection; Observation, Questionnaire, Schedule, Interview.

UNIT-IV

A. Qualitative Methods:-
Participant Observation, Case Study Method, Survey Method, Field Work; Panel Study, Interdisciplinary Research.

B. Statistics In Social Research:- Meaning and Nature, Utility; Measures of Central Tendency**:** Mean, Median and Mode. Measures of Dispersion (Range, Quartile Deviation, Mean Deviation, Standard Deviation); Usefulness of Computer in Social Science Research.

UNIT-V

A. Social Classes in India: Agrarian Class Structure, Industrial Class Structure, Middle Class in India.

B. Tribal Population in India: Geographical Distribution of Tribes, Different Welfare Policies related to Tribes.

UNIT-VI

A. System of Kinship in India: Types and classification of Kins, Kinship usages, Family and Marriage.

B. Social Change and Challenges in India: Idea of Development Planning and Types of Economy.

UNIT-VII

A. Processes Of Change: Sanskritization, Modernization, Globalization, Parochialization and Universalization.

B. Social Movement: Reform Movement, Peasant Movement, Backward Classes and Dalit Movements and Environmental Protection Movement.

UNIT-VIII

A. Urbanization In India: Evolution of Modern Cities. Growth of Urban Settlements and Slums in India, Child Abuse and Trafficking**;** Nature, Eradication (Governmental and NGO's efforts)

B. Contemporary Issues In India: Violence against Women, Caste Conflicts, Ethnic Conflicts, Communalism, Terrorism.

UNIT-IX

A. Poverty and Unemployment, Old Age Problems and Intergenerational Conflict, Problems of Disabled, Dowry, Divorce.

B. Problems Of Over Population, Displacement, Ecological Degradation and Environmental Pollution and Disaster Management, Health Problem.

UNIT-X

A. Social Deviance and its Factors, Crime and Corruption, Changing Profile of Crime and Criminals, Juvenile Delinquency.

B. Drug Addiction, Suicide, Child Labour, AIDS and HIV.

UNIT-XI

A. Agrarian Institution, Land Ownership and its Type, Agrarian Relation and Mode of Production, Jajmani System and Jajmani Relation.

B. Panchayati Raj Institution: Panchayat before and after 73rd Amendment, Rural Leadership and Factionalism.

UNIT-XII

A. Bonded Labour, Problem of Migrant Labourers, Pauperization and De-Peasantization, Agrarian unrest.

B. Trends of Change in Rural Society, In and Out Migration, Factors of Change and Impact on Rural Institutions.

UNIT-XIII

A. Meaning, Nature and Scope of Industrial Sociology; History of Industrialization in India, Division of Labour, Bureaucracy, Production Relation, Surplus Value and Alienation.

B. Factory as a Social System. Formal and Informal Organization. Impact of Industrialization on Family, Marriage and Caste System.

UNIT-XIV

A. Changing Profile of Labour, Industrial Dispute and Resolution-Conciliation, Adjudication and Arbitration. Collective Bargaining, Trade Union in Contemporary India.

B. Industrial Policy, Labour Welfare Legislations, Human Relations in Industry.

UNIT-XV

A. Gender as a Social Construct, Models of Gendered Socialization, Cultural Symbolism and Gender Roles.

B. Patriarchy and Matriarchy System, Division of Labour Re-production and Production; Different Theories of Gender Relation.

UNIT-XVI

A. Indicators of Women Status in India**:** Demographic, Social, Cultural and Economic; Special Scheme and Strategy to Women's Development in India. Empowerment of Women in India.

B. Voluntary Sector and Women Development in India: Globalization and Women Development, Effect of Gender Policies on Gender Relations.

UNIT-XVII

A. Social Development, Economic Growth, Human Development, Sustainable Development: Meaning and Indicators.

B. Social Structure and Development: As a facilitator/Inhibitor, Development and Socio Economic Disparities, Gender and Development.

UNIT-XVIII

A. Culture and Development: As an Aid/Impediment, Development and Displacement of Tradition, Development and Upsurge of Ethnic Movements.

B. Rural and Urban Transformation in India, Program of Rural and Urban Development, Poverty Alleviation Schemes, Problems of Labour.

UNIT-XIX

A. Population Studies- Meaning and Scope; Population Size, Composition and Distribution.

B. Fertility, Mortality and Migration: Factors, Measurement and Recent Trends.

UNIT-XX

A. Population Education**,** Planned Parenthood, Population Policy and Measures Taken for Population Control In India.

B. Contemporary Demographic issues in Indian Society- Declining Sex Ratio, Infant Mortality, Reproductive Health, Problem of Elderly People.

परिशिष्ट–03

(1) उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .... तहसील .....नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .....तहसील ..... नगर ..... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण

अधिकारी।

(2) संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – ..... तारीख .....निःशक्तता प्रमाण–पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....आयु ..... लिंग .....पहचान चिन्ह .....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विशयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिश्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(**i**) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(**ii**) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(**iii**) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(**iv**) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(**v**) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(**vi**) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(**vii**) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृश्टि –

(**i**) बी – अंधता

(**ii**) पी बी – ऑशिक रुप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(**i**) डी–बधिर

(**ii**) पी डी – ऑशिक रुप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्शों ..... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(**i**) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(**ii**) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(**iii**) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(**iv**) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(**v**) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(**vi**) एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(**vii**) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(**viii**) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(**ix**) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(**x**) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(**xi**) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

डा0.....)	(डा0.....)	(डा0.....)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अस्पताल के मुखिया
द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(मुहर सहित)

***** जो लागू न हो काट दें।

(3) शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट–1 प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट–2 की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट–2 की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा(प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।
7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिशिचित की जाएगी।

सचिव

(4) Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ---------- (name of the candidate with disability), a person with ---------- (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ----------, a resident of ---------- (Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent

of a Government Health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg.Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

APPENDIX-3

(5) Letter of Undertaking for using own Scribe

I ----------, a candidate with ----------(name of the disability) appearing for the ----------(name of the examination) bearing Roll No. ---------- at ---------- (name of the centre) in the District ---------- (name of the State). My qualification is ----------.

I do hereby state that ----------(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ----------. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–04

Experience Certificate

Logo of Office
(If available)

Name of Deptt./Office: …… …
Address of Deptt./Office: …….
Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust: ……..
Registration No.of Company/Firm/Society/Institution/Trust……
Telephone No……
Website: ……

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km./Dr. ..... Son/ Daughter/Wife of shri…… is an employee of this Department/ Organization/ Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are as under:

Name of post held	**From** dd/mm/yy	**To dd/mm/yy**	**Total Period dd/mm/yy**	**Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary / Part-time/ Contract/ Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)**	**Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical/ Administration/ Academic or any other experience.**	**Pay scale and last salary drawn**	**Duties performed / experience gained in brief in each post (Please give details)**	**Place of posting**	**Worked at supervisory level/ middle management level/head of branch/ other**
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :
Place :

Sign .....
(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)
Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

***** All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.